

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3687

बुधवार, 5 अप्रैल, 2023 (15 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण

3687# श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में संचालित सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण की योजना बनाई गई है;
- (ख) यदि हां तो सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण हेतु सरकार द्वारा किन बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है;
- (ग) अभी तक कुल कितनी सहकारी समितियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा चुका है; और
- (घ) उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सहकारी समितियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से देश भर में 63,000 कार्यशील PACS/LAMPS को कंप्यूटरीकृत करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटर्प्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक किया जाएगा।

अब तक 24 राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों से 58,383 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डाटा का डिजिटलीकरण और सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय हिस्सेदारी की राशि जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को 1,539 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 11.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना नियंत्रण इकाइयां (PMUs) स्थापित की गई हैं। नाबार्ड द्वारा चयनित राष्ट्रीय स्तर के परियोजना सॉफ्टवेयर वेंडर (NLPSV) के माध्यम से सॉफ्टवेयर का विकास कार्य आरंभ हो चुका है।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण से विभिन्न लाभ अपेक्षित है जैसे, उनके कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होगा, लेनदेन के दरों में कमी आएगी, भुगतान असंतुलनों में कमी आएगी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) व राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन होगा और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स अपना कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त/ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
